कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, सहारनपुर।

पत्रांक 4630/स0क्षे0प्र0/स0पुर/संचा0/स्टाफ कार/टेण्डर /18 दिनांक 17.10.2018

टेण्डर–सूचना

उतर प्रदेश परिवहन निगम में स्टाफकारों की कमी को पूरा करने के उदेश्य से निदेशक मण्डल की 184 वी बैठक दिनांक 29.12.11 के मद सख्ंया 17 में प्रस्तुत में मासिक किराये के आधार पर निजी वाहनों को सम्बद्व करने का अनुमोदन किया गया है। उक्त अनुमोदन के परिपेक्ष्य में स्टाफकारों की कमी के दृष्टिगत क्षेत्रों/इकाईयों को मासिक किराये के आधार पर निम्न नियम व शर्तो के अर्न्तगत वाहन सम्बद्व करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के सन्दर्भ मे सहारनपुर डिपो हेतु स्टाफ कार की आवश्यकता है

शर्ते

1. आलोच्य वाहन का उपयोग अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा किया जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा टाटासूमो, महिन्द्रा बोलेरो, स्विप्ट डिजायर, टाटा इन्डिगो अथवा इसके समक्ष वाहन तीन वर्ष के लिये अनुबन्ध की जायेगी।
3. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन की आयु अनुबन्ध की अवधि में अधिकतम 5 वर्ष (कमीशन की तिथि से) की होनी चाहिये।
4. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन टैक्सी परमिट से अच्छादित होनी चाहिए।
5. वाहन से मासिक न्यूनतम 2000 किलोमीटर संचालित कराया जा सकेगा तथा रूपये 30000/जिसमें ईंधन, चालक का वेतन/भता, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस परमिट,सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0 आदि एवं अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे/भुगतान किया जायेगा।
6. वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने तथा वाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उतरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
7. वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए।
8. निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर निविदाकर्ता द्वारा दूसरा वाहन सम्बन्धित निगम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. निविदाकर्ता द्वारा सम्बद्व किये गये वाहन के चालक का पूर्ण विवरण, आवासीय पता, मोबाइल फोन नम्बर, चालक का ड्राइविंग की लाइसेंस की प्रमाणित फोटोप्रति, आधार कार्ड की प्रमाणित सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
10. निविदाकर्ता अथवा चालक को किसी प्रकार का कोई अग्रिम धन देय नही होगा।
11. वाहन का अनुबन्ध 3 वर्षो हेतु किया जायेगा तथा 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पुनः अनुबन्ध किया जा सकेगा।
12. किराये पर ली गयी वाहन की लॉग बुक में यात्रा का विवरण अंकित किया जायेगा तथा सत्यापन उपरान्त मासिक आधार पर निविदाकर्ता से बिल प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापन उपरान्त क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त बिल की धनराशि का निगम मुख्यालय लखनऊ से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। बिल की धनराशि से नियमानुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौती कर काटी गयी धनराशि को आयकर विभाग में जमा करके क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
13. 2000 किमी0 मासिक से अधिक वाहन यदि संचालित करायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकरी द्वारा संचालन हेतु पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए उसका अनुमोदन अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय से किया जायेगा तथा तदानुसार भुगतान देय होगा।
14. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने पर परिवहन निगम द्वारा किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
15. मासिक किराये पर लगाये जाने वाली वाहन हेतु टेण्डर प्रार्थना पत्र सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर के कार्यालय में दिनांक 26.10.2018 की अपरान्ह 14 बजे तक निविदा बॉक्स में डाले जा सकते है तथा इसी दिनांक में ही समय 15:00 बजे निविदा बॉक्स समिति के समक्ष खोला जायेगा।
16. निविदा फार्म का मूल्य रू0 118/है जिसकी वापसी नही होगी।
17. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ पेनकार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं हस्ताक्षरित कर सलंग्न करनी होगी व दूरभाष व मोबाइल न0 अकिंत करना होगा।

(जगदीश सिंह)
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
सहारनपुर।

प्रतिलिपिः– **निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1– क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त टेण्डर सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

2– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर।

3– नोटिस बोर्ड सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय सहारनपुर।

4– ऑफर निगम की वेबसाइट पर अंकित करने हेतु **email id tender@upsrtc.com** के माध्यम से परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर प्रेषित।

17/10/18

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
सहारनपुर

Downloaded from www.upsrtc.com